

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
संकल्प

नि०बै०-01/11/2026 SEC 6 RCS -559384

विषय :- सहकारी चीनी मिलों के अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र (Command Area) अंतर्गत प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-3 के तहत “समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार” की परिकल्पना के अंतर्गत मधुबनी जिले के सकरी एवं दरभंगा जिले के रैयाम में गन्ना उद्योग विभाग के बंद चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
2. सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के क्रम में संबंधित चीनी मिल हेतु गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र (Command Area) अंतर्गत गन्ना उत्पादकों अथवा निर्धारित अवधि में गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्धता देने वाले किसानों को शामिल करते हुए बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 के अंतर्गत “प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति” का गठन किया जायेगा।

उक्त प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र संबंधित चीनी मिल के लिए गन्ना उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्ण आरक्षित क्षेत्र (Command Area) होगा।

3. प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को संगठित कर चीनी उद्योग के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। उक्त समिति सदस्य किसानों के लिए गन्ना उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि आदान, आधुनिक कृषि संयंत्र, तकनीकी परामर्श, कृषि ऋण आदि की उपलब्धता तथा संबंधित चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति श्रृंखला हेतु कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त विषय-वस्तु से संबंधित योजनाओं का लाभ अपने सदस्यों तक पहुंचाने

के लिए समिति समन्वय भी करेगी। समिति के उद्देश्य, स्वरूप, दायित्व एवं अन्य प्रावधान/शर्तें उपविधि में वर्णित हैं जो अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न है।

4. प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का गठन विशेष प्रयोजन से किया जा रहा है। प्रस्तावित चीनी मिल के सुचारु तथा सफल संचालन के लिए चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र (Command Area) अंतर्गत मिल की क्षमता के अनुसार पर्याप्त गन्ना के उत्पादन तथा चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दिया जायेगा। साथ ही क्षेत्र के उचित व्यवसायिक प्रबंधन को जुटाने हेतु राज्य सरकार की बड़ी भागीदारी अपेक्षित है।

सहकारिता विभाग बिहार के संकल्प संख्या 7981 दिनांक 31.07.2026 द्वारा रैयाम तथा सकरी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नयी सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा करने की स्वीकृति दी गई है।

5. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम 1935 के प्रावधानानुसार प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में पदधारक सहित अधिकतम 13 सदस्य होंगे। उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के निदेशक मंडल में 03 सदस्य यथा संबंधित जिला पदाधिकारी को पदेन अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नामित/अधिसूचित पदाधिकारी को प्रबंध निदेशक तथा राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य जो गन्ना/सहकारिता प्रक्षेत्र से कार्यपालकीय अनुभव वाले एक अन्य निदेशक को नामित किया जायेगा।
6. समिति के निदेशक मंडल के शेष 10 पद निर्वाचन से भरे जाने हैं। निर्वाचन योग्य 10 पद सभी वर्ग के सदस्यों के लिए खुला रहेगा। इस हेतु बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा - 14 (2) के

द्वितीय परन्तुक के तहत राज्य सरकार को प्राप्त शक्ति के आलोक में निदेशक मंडल में आरक्षण के प्रावधान अपवर्जित माना जाएगा।

7. प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के उपविधि के अन्य प्रावधानों को यथा आवश्यकता बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 के प्रावधानानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
8. उपर्युक्त के आलोक में सहकारी चीनी मिलों के अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र (Command Area) अंतर्गत प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न उपविधि के साथ गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
9. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19.08.2026 में मद सं.-10 के रूप में (संचिका नि.बै.-नि०बै०-01/11/2026 SEC 6 RCS-559384, पृष्ठ 24/टि.) स्वीकृति प्रदान की गयी है।
10. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

अनुलग्नक : यथा संलग्न।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,


(धर्मेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक..... 8666/पटना, दिनांक..... 20-08-2026

नि.बै.-01/11/2026 SEC 6 RCS 559384

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक..... 8666/पटना, दिनांक..... 20-08-2026

नि.बै.-01/11/2026 SEC 6 RCS 559384

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, योजना एवं

विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/
सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक.....8666...../पटना, दिनांक.....20-08-2026

नि.बै.-01/11/2026 SEC 6 RCS 559384

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/सचिव,
सहकारिता विभाग के निजी सहायक/निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक (अंके. सहित),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य
सहकारी बैंक लि., पटना/सभी जिला सहकारिता
पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक.....8666...../पटना, दिनांक.....20-08-2026

नि.बै.-01/11/2026 SEC 6 RCS 559384

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना/उप सचिव
(ई-गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की
सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि 20 मुद्रित प्रतियाँ
विभाग को उपलब्ध कराने का कृपा करेंगे / आई.टी. मैनेजर,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।